18

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 80 / 2019 दायर दिनांक–29.05.2019

1. तारामणी पुत्री जगन जाति मेघवाल निवासी बारवा तहसील नवलगढ़।
2. बसंती पुत्री जगन जाति मेघवाल निवासी बारवा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

– वादीयागण

बनाम

1. अणची पत्नी जगन
2. रामेश्वर पुत्र शंकर
3. सुरज्ञान पुत्र जगन
4. सांवरमल पुत्र जगन
5. मोहनी पत्नी रामेश्वर समस्त जाति मेघवाल निवासी बारवा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं।
6. शाखा प्रबंधक ऑरियंटल बैंक ऑफ कोमर्स शाखा नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
7. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
8. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसींल नवलगढ़ जिंला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री सज्जन चाहर
वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

दावा बाबत : घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक–26.07.2024

वादीयागण ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम बारवा पटवार हल्का मोहनवाड़ी मे स्थित भूमि खाता संख्या 207 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 211 रकबा 1.6900 है0, खसरा नम्बर 212 रकबा 0.0100 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.7000 है0 तथा खाता संख्या 206 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 213 रकबा 1.8100 है0 स्थित है। जिसे आगे वादपत्र में विवादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जायेगा।

स्व0 जगन के वैध उत्तराधिकारी वादियागण व प्रतिवादीगण 1, 4 व 5 है वाद पत्र की धारा 1 मे वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में वादियागण के पिता स्व0 जगन 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार था। वादियागण के पिता के फौत होने पर उक्त कृषि भूमि का नामांतकरण वादियागण की माता व भाईयों के नाम से दर्ज हो गया जबकि वादियागण का नाम भी दर्ज होना चाहिए था। अतः उक्त कृषि भूमि में वादियागण का 1/15–1/15 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 1 व 3 लगायत 5 प्रत्येक को 1/15 हिस्सा दर्ज होना चाहिए। वादियागण स्व0 जगन की वैध उत्तराधिकारी है हिंदू उत्तराधिकार के तहत पुत्री पिता की संपति की प्रथम उत्तराधिकारी होती है परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती से उक्त भूमि में वादियागण का नाम दर्ज नही किया गया।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि में वादियागण को 1/15–1/15 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 प्रत्येक को 1/15–1/15 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही होने पर तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु वादी तारामणी के चिफ का सपथ पत्र पेश किया। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78 आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने वाद–पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि वादियागण स्व0 जगन की जायंदा पुत्रियां है जिनका जगन के फौत होने पर नामान्तरण भरा गया उसमें वादियागण

6/12/24
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

को खातेदार नही बनाया गया। अतः वादियागण को जगन के 1/3 हिस्से में से 1/15–1/15 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि वादियागण स्व0 जगन की जायंदा पुत्रियां है। अतः वादियागण को स्व0 जगन के हिस्से की भूमि में 1/15–1/15 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम बारवा पटवार हल्का मोहनवाड़ी मे स्थित भूमि खाता संख्या 207 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 211 रकबा 1.6900 है0, खसरा नम्बर 212 रकबा 0.0100 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.7000 है0 तथा खाता संख्या 206 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 213 रकबा 1.8100 है0 स्थित है उक्त भूमि में वादियागण प्रत्येक को 1/15–1/15 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं0 1, 3 व 4 प्रत्येक को 1/15–1/15 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 80/2019 **(तारामणी बनाम अणची आदि)**

अंतिम डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 26.07.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके वाके राजस्व ग्राम बारवा पटवार हल्का मोहनवाड़ी मे स्थित भूमि खाता संख्या 207 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 211 रकबा 1.6900 है0, खसरा नम्बर 212 रकबा 0.0100 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.7000 है0 तथा खाता संख्या 206 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 213 रकबा 1.8100 है0 स्थित है उक्त भूमि में वादियागण प्रत्येक को 1/15–1/15 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं0 1, 3 व 4 प्रत्येक को 1/15–1/15 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26.07.2024 को जारी की गई।

हस्ताक्षर 26/7/24

हवाई सिंह यादव (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ़
मोहर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00